

क्रमांक: एफ 12(6) वित्त/नियम/2008

जयपुर, दिनांक: 5 DEC 2016

परिपत्र

विषय :- राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 78 के नीचे दिये गये सेवानिवृत्ति के आदेश का प्रारूप 6 के संबंध में।

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 द्वारा प्रतिस्थापित प्ररूप-6 के अनुच्छेद 2(3) में अंकित "कोई न्यायिक कार्रवाईयां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।" आशय बाबत राज्य सेवक की सेवानिवृत्ति के समय उक्त प्ररूप-6 की पूर्ति किये जाते समय विभागों/कार्यालयाध्यक्षों को इस अनुच्छेद 2(3) की पूर्ति के संबंध में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों का ध्यान रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि "कोई न्यायिक कार्रवाईयां विचाराधीन है/लम्बित नहीं है" से आशय कार्मिक द्वारा सेवा के दौरान राजकीय कार्य के निष्पादन के दौरान ऐसा कोई कृत्य/कार्य नहीं किया गया है, जिसके कारण कार्मिक के विरुद्ध कोई अभियोजन स्वीकृति जारी की गई हो। इससे भिन्न यदि कोई न्यायिक प्रकरण किसी कार्मिक के विरुद्ध विचाराधीन/लम्बित है तो उसकी सूचना पेंशन प्रकरण के निस्तारण हेतु अपेक्षित नहीं होंगी।


(नवीन महाजन)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मन्त्री/राज्य मन्त्री/संसदीय सचिव।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर (200 प्रतियों सहित)।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर।
11. उपनिदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमन्त्री कार्यालय जयपुर।
12. समस्त कोषाधिकारी।
13. कार्य एवं प्रशासन सुधार (कॉडिफिकेशन) विभाग (7 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
14. अतिरिक्त निदेशक (कम्प्यूटर सेल), वित्त विभाग।
15. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर, 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित (अधीनस्थ विधायन समितियों के लिए)।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।



(कीर्ति जैन)

संयुक्त शासन सचिव

(पेंशन- 09/2016)

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम) अनुभाग

क्रमांक: प.12 (6) वित्त/नियम/2008

जयपुर, दिनांक 24 MAR 2015

परिपत्र

विषय :- राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 78 में वर्णित प्ररूप 6 को प्रतिस्थापित किये जाने बाबत्।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 78 में वर्णित विद्यमान प्ररूप 6 को जो परिशिष्ट-“अ” पर संलग्न है, से प्रतिस्थापित किया जाता है।

संध्या शर्मा
23/3/2015

संयुक्त शासन सचिव-II

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, महोदय।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर (200 प्रतियां)
7. समस्त विभागाध्यक्ष,।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग को 100 अतिरिक्त प्रतियां संलग्न करते हुए सभी उप कोषागारों को भिजवाने हेतु।
9. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
10. उप निदेशक, (साख्यंकी) मुख्यमंत्री कार्यालय।
11. समस्त कोषाधिकारी।
12. समस्त विभाग सचिवालय,
13. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-7) को 7 प्रतियां।
14. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) वित्त विभाग (कम्प्यूटर सेल)

प्रतियां इन्हे भी :

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा को अधीनस्थ विधार्थ समितियों को भिजवाने हेतु 20 प्रतियां।
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

संध्या शर्मा
23/3/2015

संयुक्त शासन सचिव-II

(पेंशन-02/2015)

परिशिष्ट "अ"

प्ररूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

सेवानिवृत्ति के आदेश का प्ररूप

राजस्थान सरकार

..... विभाग

सं.

तारीख :

आदेश

श्री/श्रीमती/कुमारी जो (पद नाम)

..... के रूप में (सेवा)में कार्यरत है, को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर (सेवानिवृत्ति की तारीख) से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री/श्रीमती/कुमारी के विरुद्ध आज तक :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

हस्ताक्षर

नियुक्ति प्राधिकारी

का पद नाम

तारीख.....

सं.

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित :

1. निदेशक, पेशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित अधिकारी/पदधारी।
3. संबंधित कर्मचारी की वैयक्तिक फाईल।
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

हस्ताक्षर

पद नाम